

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 235] No. 235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

Hkkjrh; ∨k; (folKku ifj"kn~

I å kkg⁄ku ∨f/kI µpuk

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

I a % Hkk-vk-i-&12¼1½@2017&efM-@115698.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

- 1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2017" कहा जाएगा।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित अभिवर्धन/आशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार होंगेः
- 3. अनुसूची I में, खंड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में कुल 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् सूचीबद्ध जर्नलों में दो अनुसंधान प्रकाषनों के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में प्राप्त किया गया अनुभव हो।

अति विशेषज्ञताओं के मामले में, केवल उन्हीं अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिनके पास 6 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, जिसमें से दो वर्ष का अध्यापन अनुभव, उच्चतर विशेषज्ञता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् सहायक प्रोफोसर के रूप में प्राप्त किया गया अध्यापन अनुभव हो।"

3643 GI/2017 (1)

I ब्रॉड विशेषज्ञताएं (एमडी / एमएस)

in	vdknfed 'k\${kd; k%; rk	v/; kiu , oa vuq a'kku vu q ko	
प्रोफेसर/ अपर	संबंधित विषय में और टीईक्यू	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक	
प्रोफेसर	विनियमावली के अनुसार	के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल	
(स्नातकोत्तर डिग्री	स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता	के दौरान न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के	
के पश्चात् ८ वर्ष	एमडी / एमएस	साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 4	
का अनुभव)		अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति	
		प्राप्त / अनुमोदित / मान्यताप्राप्त मेडिकल	
		कॉलेज / संस्थान में 3 वर्ष के लिए विषय में	
		एसोसिएट प्रोफेसर।	
एसोसिएट प्रोफेसर	संबंधित विषय में और टीईक्यू	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक	
(स्नातकोत्तर डिग्री	विनियमावली के अनुसार	के रूप में सूचीबद्ध जर्नलों में 2 अनुसंधान	
के पश्चात 5 वर्ष	स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता	प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति प्राप्त/	
का अनुभव)	एमडी / एमएस	अनुमोदित / मान्यता प्राप्त मेडिकल	
		कॉलेज / संस्थान में 4 वर्ष के लिए विषय में	
		सहायक प्रोफेसर के रूप में।	
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में और टीईक्यू	संबंधित विषय में किसी मान्यताप्राप्त मेडिकल	
	विनियमावली के अनुसार	कॉलेज में तीन वर्ष कनिष्ठ रेजिडेंट के रूप	
	स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता	में और किसी मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज	
	एमडी / एमएस	में संबंधित विषय में एक वर्ष वरिष्ठ रेजिडेंट	
		के रूप में।	
वरिष्ठ रेजिडेंट (ब्रॉड विशेषज्ञता)			
वरिष्ठ रेजिडेंट	वरिष्ठ रेजिडेंट वह है, जो स्ना	तिकोत्तर डिग्री (एमडी / एमएस) प्राप्त करने के	
	पश्चात् संबंधित स्नातकोत्तर विषय में अपनी रेजिडेंसी कर रहा है और 40 वर्ष		
	से कम आयु का है।		

II अति विशेषज्ञता (डीएम / एमसीएच)

In vaknfed 'kf{kd; kx; rk		v/; kiu , oa vuq a⁄kku vu q ko	
प्रोफेसर/ अपर	संबंधित विषय में और टीईक्यू	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक	
प्रोफेसर (अति	विनियमावली के अनुसार	के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल	
विशेषज्ञता के पश्चात्	डीएम / एमसीएच में अति	के दौरान न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के	
5 वर्ष का अनुभव)	विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक	साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 4	
	योग्यता।	अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति	
		प्राप्त / अनुमोदित / मान्यताप्राप्त मेडिकल	
		कॉलेज / संस्थान में 3 वर्ष के लिए विषय में	
		एसोसिएट प्रोफेसर।	

एसोसिएट प्रोफेसर	संबंधित विषय में और टीईक्यू	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक		
(अति विशेषज्ञता के	विनियमावली के अनुसार	के रूप में सूचीबद्ध जर्नलों में 2 अनुसंधान		
पश्चात् २ वर्ष का	डीएम / एमसीएच में अति	प्रकाशनों के साथ किसी अनुमतिप्राप्त /		
अनुभव)	विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक	अनुमोदित / मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज /		
	योग्यता।	संस्थान में 2 वर्ष के लिए विषय में सहायक		
		प्रोफेसर के रूप में।		
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में और टीईक्यू			
	विनियमावली के अनुसार			
	डीएम / एमसीएच में अति			
	विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक			
	योग्यता।			
वरिष्ठ रेजिडेंट (अति विशेषज्ञता)				
वरिष्ठ रेजिडेंट	संबंधित विषय में			
	एमसीएच / डीएम के लिए			
	पंजीकृत ।			

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन— III / 4 / असाधारण / 101 / 17]

ikn fVIi. 1 % प्रधान विनियमावली, नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना के अंतर्गत 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग—III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 16.03.2005, 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12. 2009, 03.11.2010, 04.11.2010, 08.07.2011, 11.06.2012, 06.08.2012 20.04.2015 और 11.03.2017 की अधिसुचना के अंतर्गत संशोधित की गई थी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

No. MCI-12(1)/2017-Med.Misc./115698.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely:—

- 1 (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2017."
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following **additions/modifications/deletions/substitutions**, shall be, as indicated therein:—

3. In Schedule 1, Clause 6 shall be substituted as :-

"The teachers in a medical college or institution having a total of 8 years teaching experience out of which at least 4 years teaching experience as Assistant Professor with two research publication in indexed journals gained after obtaining postgraduate degree shall be recognized post graduate teacher in broad specialties.

In case of super specialties only those teachers who possess 6 years teaching experience out of which at least 2 years teaching experience as Assistant Professor gained after obtaining the higher specialty degree shall be recognized post graduate teacher."

I. Broad Specialties (MD/MS)

Posts	Aca. Qual.	Teaching & Research Exp.
Professor/Addl.	A post graduate	Associate Professor in the subject for 3
Professor (8 year of	qualification	years in a permitted/approved/recognized
Post PG	MD/MS in the	medical college/institution with 4 Research
Experience)	concerned subject	Publications in Indexed Journal on
	and as per the	Cumulative basis with minimum of 2
	TEQ Regulation	Research Publication during the tenure of
		Associate Professor as Ist Author or as
		corresponding author.
Associate Professor	A post graduate	As Assistant Professor in the subject for 4
(5 year Post PG	qualification	years in a permitted/approved/recognized
experience)	MD/MS in the	medical college/institution with 2 Research
	concerned subject	Publication in Indexed Journals as Ist
	and as per TEQ	Author or as corresponding author.
	Regulation.	
Assistant Professor	A post graduate	3 years Junior Resident in a recognized
	qualification	medical college in the concerned subject
	MD/MS in the	and one year as Senior Resident in the
	concerned subject	concerned subject in a recognized medical
	and as per the	college.
	TEQ Regulations.	

Senior Resident (Broad Specialties)

Senior Resident	Senior Resident	is one w	ho is doi:	ng his/her	residency	in the
	concerned post	graduate	subject a	after obtain	ning PG	degree
(MD/MS) and is below 40 years of age.						

II. Super Specialty (DM/M.Ch.)

Posts	Academic Qualifications	Teaching & Research Exp.	
Professor/Addl.	A super specialty post	Associate Professor in the subject for 3	
Professor (5 year	graduate qualification in	years in a permitted/approved/	
of Post Super	DM/M.Ch. in the	recognized medical college/institutions	
Specialty	concerned subject and as	with 4 Research Publications in Indexed	
experience)	per the TEQ Regulation	Journal on cumulative basis with	
		minimum of 2 Research publication	
		during the tenure of Associate Professo	
		as Ist Author or as corresponding author.	
Associate	A super speciality post	As Assistant Professor in the subject for	
Professor/(2	graduate qualification in	2 years in a permitted/	
years of Post	DM/M.Ch. in the	approved/recognized medical college/	
Super Specialty	concerned subject and as	institution with 2 Research Publication in	

experience)	per the TEQ Regulation.	Indexed Journals as Ist Author or as corresponding author.
Asst. Professor	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch. in the concerned subject and as per the TEQ Regulation.	

Senior Resident (Super Speciality)

Senior Resident	Registered for M.Ch./DM in the concerned	
	subject	

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/C) [ADVT.-III/4/Exty./101/17]

Foot Note:

The Principal Regulations namely, "Minimum qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 3.11.2010, 4.11.2010, 8.7.2011, 11th June, 2012, 6th August, 2012, 20.4.2015 & 11.03.2017.